न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.

दायर दिनांक : 05.09.2016

प्रकरण सख्याः–363/2016

गौतम पिता लच्छा कटारा जाति मीणा निवासी पाडली वीरसिंह त. झौथरी जिला डूँगरपुर।

–वादी

बनाम

1 दला पिता लच्छा कटारा जाति मीणा निवासी पाडली वीरसिंह तहसील झौथरी जिला डूँगरपूर (मृतक के कायम मुकाम)

1/1 कमलाशंकर पिता दला कटारा जाति मीणा निवासी पाडली वीरसिंह त. झौथरी जिला डूँगरपूर

1/2 रेशमी पिता दला कटारा जाति मीणा निवासी पाडली वीरसिंह त. झौथरी जिला डूँगरपूर

1/3 ईटली पिता दला कटारा जाति मीणा निवासी पाडली वीरसिंह त. झौथरी जिला डूँगरपूर

1/4 तुलसी पिता दला कटारा जाति मीणा निवासी पाडली वीरसिंह त. झौथरी जिला डूँगरपूर

1/5 रमिला पिता दला कटारा जाति मीणा निवासी पाडली वीरसिंह त. झौथरी जिला डूँगरपूर

2 श्री पप्पू पिता नाना कटारा जाति मीणा निवासी पाडली वीरसिंह त. झौथरी जिला डूँगरपूर

3 श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झौथरीपाल जिला–डूँगरपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53, 92क, 209 रा.का. अधिनियम

उपस्थितः–

श्री श्रवण रावल अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री गौतमलाल रोत अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।
राजकीय पेरोकार प्रतिवादी सं. 3 की ओर से।

अंतिम निर्णय — दिनांक 30.07.2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के वाद के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं. एक व दो एक ही परिवार के है तथा आपस मे रिश्तेदार है। प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जिन पर हिन्दू विधि लागू नही होती है। प्रतिवादी दला वादी का सगा भाई है तथा प्रतिवादी सं. दो वादी के स्व. भाई नाना का लडका है यानि प्रतिवादी सं. दो वादी का भतीजा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियॉ गॉव पाडली वीरसिंह त. झौथरी जिला डूँगरपुर मे स्थित है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम पाडली वीरसिंह त. झौथरी जिला डूँगरपुर मे स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

2

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पाडली वीरसिंह मे स्थित भूमि का जमाबन्दी संवत 2068-71 अनुसार खसरा नम्बर 8, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 67, 73, 435, 438, 492, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 503, 508, 509, 512, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 564 होकर कुल रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा होकर वादी का 1/3, प्रतिवादी दला का 1/3 एवं प्रतिवादी पप्पू का 1/3 हिस्सा है।

प्रतिवादीगण व वादी मौके पर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य फसलो की बुवाई को लेकर कुछ समय से विवाद चल रहा है तथा वादीगण जिस फसल को बोना चाहते है उससे प्रतिवादीगण इंकार करते है। जिस कारण फसलो की बुवाई को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसी परिस्थति में स्थायी निषेधाज्ञा व बटवाडा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादग्रस्त भूमि मे वादी का 1/3 प्रतिवादी दला का 1/3 प्रतिवादी पप्पू का 1/3 हिस्सा है, लेकिन मौके पर बटवाडा नही होने से विवाद की स्थिति बन जाती है तथा बटवाडा हो जाने से वादी व प्रतिवादीगण अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग व काश्त कर सकेंगे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है कि वह वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व किसी प्रकार का विक्रय हस्तान्तरण किसी भी व्यक्ति संस्थान को न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे भूमि की किस्म परिवर्तन न करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे। वाद ग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर निर्माण न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे। वादी के काश्त कार्य मे रूकावट पैदा न करें तथा दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से को बेचा जाता है या किस्म परिवर्तन कराई जाती है तो विक्रय किये जाने वाले रकबे या आबादी परिवर्तन किये जाने वाले रकबे को प्रतिवादीगण के हिस्से से कम किया जाकर उस अनुरूप बटवाडा किया जावे।

प्रकरण मे प्रारंभिक निर्णय और डिक्री दिनांक 03.03.2020 को जारी की गई। न्यायालय की जानकारी मे यह तथ्य आने पर की खसरा नम्बर 557 का अंकन सहवन से रह गया है जिस पर न्यायालय द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 27.06.2024 को जारी किया जाकर खसरा संख्या 557 को भी निर्णय मे पढे जाने आदेश पारित किया गया। प्रकरण मे निर्णय अनुसार बटवारा स्कीम प्राप्त की गई। बटवारा स्कीम पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति इस न्यायालय मे प्रस्तुत नही की गई और बटवारा स्कीम पर सहमति प्रदान की गई। बटवारा अनुसार निर्णय पारित किए जाने कथन किया गया। ऐसी स्थिति में अब बटवारा बाबत् अंतिम डिक्री को पारित किया जाना उचित समझा जाता है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी गौतम जिसकी मृत्यु हो जाने से उसके वारिस दिनेश पुत्र गौतम हिस्सा 1/4, नारायण पुत्र गौतम हिस्सा 1/4, फुलकी पत्नी गौतम हिस्सा 1/4, गीता, मनीषा पुत्री नाथू, नाबालिग जगदीश पुत्र नाथू, निर्मला पत्नी नाथू हिस्सा 1/4 हि.ब. को खसरा नम्बर 8 रकबा 0.1132 हेक्ट., 50 रकबा 0.0161 हेक्ट., 51 रकबा 0.0080 हेक्ट., 52 रकबा 0.0080 हेक्टे., 53 रकबा 0.0323 हेक्टे., 57 रकबा 0.0323 हेक्टे., 58 रकबा 0.0405 हेक्टे., 67 रकबा 0.0323 हेक्टे., 73 रकबा 0.0674 हैक्ट., 435 रकबा 0.0162 हैक्ट., 438 रकबा 0.0242 हैक्ट., 492 रकबा 0.0080 हैक्ट., 494 रकबा 0.0566 हेक्टे., 496 रकबा 0.1704 हेक्टे., 497 रकबा 0.0080 हेक्टे, 498 रकबा 0.0404 हेक्टे, 499 रकबा 0.0161 हेक्टे, 500 रकबा 0.0080 हेक्टे, 503 रकबा 0.0162 हेक्टे, 508 रकबा 0.0162 हैक्ट., 509 रकबा 0.1215 हेक्टे, 512 रकबा 0.0323 हेक्टे., 550 रकबा 0.0323 हेक्टे, 551 रकबा 0.0080 हेक्टे., 552 रकबा 0.0081 हेक्टे,, 553 रकबा 0.0404 हेक्टे,, 555 रकबा 0.0161 हेक्टे,,

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

556 रकबा 0.0243 हेक्टे,, 557 रकबा 0.0243 हेक्टे,. 558 रकबा 0.0404 हेक्टे,, 564 रकबा 0.0647 हेक्टे कुल किता 31 कुल रकबा 1.1428 हैक्ट. को प्रदान किये गये।

प्रतिवादी सं. एक दला के वारिसान कमलाशंकर पिता दला, ईटली, तुलसी, रमीला, रेशम पुत्री दला, नागरी पत्नि दला हि.ब. को खसरा नम्बर 8/1 रकबा 0.1132 हेक्टे., 50/1 रकबा 0.0162 हेक्टे., 51/1 रकबा 0.0081 हेक्टे, 52/1 रकबा 0.0081 हेक्टे, 53/1 रकबा 0.0243 हेक्टे, 57/1 रकबा 0.0323 हेक्टे,, 58/1 रकबा 0.0405 हेक्टे., 67/1 रकबा 0.0324 हेक्टे,, 492/1 रकबा 0.0080 हेक्टे., 494/1 रकबा 0.0647 हैक्टे., 496/1 रकबा 0.2239, 499/1 रकबा 0.0324 हेक्टे., 500/1 रकबा 0.0162 हेक्टे., 503/1 रकबा 0.0162 हेक्टे, 509/1 रकबा 0.0642 हेक्टे, 512/1 रकबा 0.0243 हेक्टे, 550/1 रकबा 0.0323 हेक्टे, 551/1 रकबा 0.0081 हेक्ट., 552/1 रकबा 0.0080 हेक्टे,, 553/1 रकबा 0.0728 हेक्टे,, 555/1 रकबा 0.0162 हेक्टे,, 556/1 रकबा 0.0243 हेक्टे,, 557/1 रकबा 0.0161 हेक्टे,, 558/1 रकबा 0. 0405 हेक्टे,, 564/1 रकबा 0.0647 हेक्टे. कुल किता 25 रकबा 1.0080 हैक्ट. प्रदान किये गये है एवं खसरा नंबर 73/1 रकबा 0.1348 हैक्ट. लक्ष्मण पुत्र वक्सी को विक्रय कर दिये जाने से आराजी नंबर 73/1 रकबा 0.1348 हैक्ट. लक्ष्मण पुत्र वक्सी के हिस्से में प्रस्तावित किये गये।

प्रतिवादी पप्पु पुत्र नाना, गंगा पत्नी नाना हि.ब. के हिस्से खसरा नम्बर 50/2 रकबा 0.0243 हेक्टे., 52/2 रकबा 0.0162 हेक्टे, 53/2 रकबा 0.0323 हेक्टे, 57/2 रकबा 0.0324 हेक्टे., 58/2 रकबा 0.0484 हेक्टे., 67/2 रकबा 0.0323 हेक्टे., 492/2 रकबा 0.0082 हेक्टे., 494 /2 रकबा 0.0647 हैक्टे., 496/2 रकबा 0.2124, 497/2 रकबा 0.0081 हैक्ट., 499/2 रकबा 0.0243 हेक्टे., 500/2 रकबा 0.0162 हेक्टे., 503/2 रकबा 0.0242 हेक्टे, 509/2 रकबा 0.2430 हेक्टे, 512/2 रकबा 0.0404 हेक्टे, 550/2 रकबा 0.0324 हेक्टे, 551/2 रकबा 0.0162 हेक्टे,, 552/2 रकबा 0. 0081 हेक्टे,, 555/2 रकबा 0.0081 हेक्टे,, 556/2 रकबा 0.0161 हेक्टे,, 557/2 रकबा 0.0243 हेक्टे,, 558/2 रकबा 0.0323 हेक्टे,, 564 रकबा 0.0647 हेक्टे कुल किता 23 रकबा 1.0296 हैक्ट. को प्रदान किया गया है।

विभाजन प्रस्ताव अनुसार लक्ष्मी पत्नी गोपाल कृष्ण भील को विक्रय कर दिये जाने से आराजी नंबर 435/2 रकबा 0.0323 हैक्ट., 438/2 रकबा 0.0324 हैक्ट. व 508/2 रकबा 0.0485 हैक्ट. किता 03 रकबा 0.1132 हैक्ट. लक्ष्मी पत्नी गोपाल कृष्ण भील को बंटवारे में हिस्सा दिया गया।

हमारे द्वारा बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही किए जाने और बटवारे से सहमत होने से उपरोक्त बटवारा निर्णय बाबत् अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित समझा जाता है।

::निर्णय::

तहसीलदार झाँथरीपाल द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर मौजा पाडली वीरसिंह के जमाबंदी खाता संख्या 21, 63, 70 में वादी गौतम के वारिस दिनेश पुत्र गौतम हिस्सा 1/4, नारायण पुत्र गौतम हिस्सा 1/4, फुलकी पत्नी गौतम हिस्सा 1/4, गीता, मनीषा पुत्री नाथू, नाबालिग जगदीश पुत्र नाथू, निर्मला पत्नी नाथू हिस्सा 1/4 हि.ब. को खसरा नम्बर 8, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 67, 73, 435, 438, 492, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 503, 508, 509, 512, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 564 किता 31 कुल रकबा 1.1428 हैक्ट., प्रतिवादी सं. 01 दला के

2

उपखण्ड अधिकारी
भीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

वारिसान कमलाशंकर पिता दला, ईटली, तुलसी, रमीला, रेशम पुत्री दला, नागरी पत्नि दला हि.ब. को खसरा नम्बर 8/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 57/1, 58/1, 67/1, 492/1, 494/1, 496/1, 499/1, 500/1, 503/1, 509/1, 512/1, 550/1, 551/1, 552/1, 553/1, 555/1, 556/1, 557/1, 558/1, 564/1 कुल किता 25 रकबा 1.0080 हैक्ट., खसरा नंबर 73/1 रकबा 0.1348 हैक्ट. लक्ष्मण पुत्र वक्सी को विक्रय कर दिये जाने से आराजी नंबर 73/1 रकबा 0.1348 हैक्ट. तथा प्रतिवादी पप्पु पुत्र नाना, गंगा पत्नी नाना हि.ब. के हिस्से खसरा नम्बर 50/2, 52/2, 53/2, 57/2, 58/2, 67/2, 492/2, 494 /2, 496/2, 497/2, 499/2, 500/2, 503/2, 509/2, 512/2, 550/2, 551/2, 552/2, 555/2, 556/2, 557/2, 558/2, 564 किता 23 रकबा 1.0296 हैक्ट., लक्ष्मी पत्नी गोपाल कृष्ण भील को विक्रय कर दिये जाने से आराजी नंबर 435/2 रकबा 0.0323 हैक्ट., 438/2 रकबा 0.0324 हैक्ट. व 508/2 रकबा 0.0485 हैक्ट. किता 03 रकबा 0.1132 हैक्ट. भूमि का तहसीलदार झौंथरीपाल द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा कर खाते अलग-अलग कायम करने की आज्ञा दी जाती है। तहसीलदार तहसील झौंथरीपाल द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव नक्शा ट्रेस इस निर्णय एवं अन्तिम डिक्री का भाग रहेंगे। तहसीलदार झौंथरीपाल को आदेश दिया जाता है कि आदेशानुसार बंटवारा कर खाते अलग-अलग कायम किए जावे। पालना रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी, जो वादी के हक हिस्से की है, में ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करें, जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30/07/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

बंटवारे के वाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा मुख्यालय धम्बोला जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री राकेश कुमार न्योल

श्री गौतम बनाम दला आदि

दावा बाबत् बटवारा एवं स्थाई निषेधज्ञा

प्रकरण सख्या:– 363/2016

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण रावल उपस्थित और प्रतिवादी की ओर से श्री गौतमलाल रोत अधिवक्ता। आज दिनांक 30/07/2024 को पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार न्योल के समक्ष बटवारे हेतु अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर डिकी दी जाती है कि–

तहसीलदार झौंथरीपाल द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर मौजा पाडली वीरसिंह के जमाबंदी खाता संख्या 21, 63, 70 में वादी गौतम के वारिस दिनेश पुत्र गौतम हिस्सा 1/4, नारायण पुत्र गौतम हिस्सा 1/4, फुलकी पत्नी गौतम हिस्सा 1/4, गीता, मनीषा पुत्री नाथू, नाबालिग जगदीश पुत्र नाथू, निर्मला पत्नी नाथू हिस्सा 1/4 हि.ब. को खसरा नम्बर 8, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 67, 73, 435, 438, 492, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 503, 508, 509, 512, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 564 किता 31 कुल रकबा 1.1428 हैक्ट., प्रतिवादी सं. 01 दला के वारिसान कमलाशंकर पिता दला, ईटली, तुलसी, रमीला, रेशम पुत्री दला, नागरी पत्नि दला हि.ब. को खसरा नम्बर 8/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 57/1, 58/1, 67/1, 492/1, 494/1, 496/1, 499/1, 500/1, 503/1, 509/1, 512/1, 550/1, 551/1, 552/1, 553/1, 555/1, 556/1, 557/1, 558/1, 564/1 कुल किता 25 रकबा 1.0080 हैक्ट., खसरा नंबर 73/1 रकबा 0.1348 हैक्ट. लक्ष्मण पुत्र वक्सी को विक्रय कर दिये जाने से आराजी नंबर 73/1 रकबा 0.1348 हैक्ट. तथा प्रतिवादी पप्पु पुत्र नाना, गंगा पत्नी नाना हि.ब. के हिस्से खसरा नम्बर 50/2, 52/2, 53/2, 57/2, 58/2, 67/2, 492/2, 494 /2, 496/2, 497/2, 499/2, 500/2, 503/2, 509/2, 512/2, 550/2, 551/2, 552/2, 555/2, 556/2, 557/2, 558/2, 564 किता 23 रकबा 1.0296 हैक्ट., लक्ष्मी पत्नी गोपाल कृष्ण भील को विक्रय कर दिये जाने से आराजी नंबर 435/2 रकबा 0.0323 हैक्ट., 438/2 रकबा 0.0324 हैक्ट. व 508/2 रकबा 0.0485 हैक्ट. किता 03 रकबा 0.1132 हैक्ट. भूमि का तहसीलदार झौंथरीपाल द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा कर खाते अलग–अलग कायम करने की आज्ञा दी जाती है। तहसीलदार तहसील झौंथरीपाल द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव नक्शा ट्रेस इस निर्णय एवं अन्तिम डिकी का भाग रहेंगे। तहसीलदार झौंथरीपाल को आदेश दिया जाता है कि आदेशानुसार बंटवारा कर खाते अलग–अलग कायम किए जावे। पालना रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी, जो वादी के हक हिस्से की है, में ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करें, जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर होवे।

यह आज दिनाक 30/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

हिंदी			[illegible]		
1 [illegible]			1 [illegible]		
2 [illegible]			2 [illegible]		
3 [illegible]			3 [illegible]		
4 [illegible]			4 [illegible]		
5 [illegible]			5 [illegible]		
6 [illegible]			6 [illegible]		
7 [illegible]					

[illegible]
[illegible]